अमेरिका ने एच-1बी वीजा एप्लाई करने वाले भारतीयों की दिक्कतें बढ़ाई

ट्रम्प प्रशासन ने एच-1बी वीजा पर 1 लाख डॉलर का शुल्क एक साल के लिए बढ़ाया

● वाशिंगटन / राज न्यूज नेटवर्क

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने एच-1बी वीजा के जरिये विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका लाने वाले नियोक्ताओं पर लगाए गए एक लाख अमेरिकी डॉलर के शुल्क को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय 'व्हाइट हाउस' ने यह जानकारी दी।

ट्रम्प ने शुक्रवार को जारी राष्ट्रपति की घोषणा में कहा कि 2025 में एक लाख यूएस डॉलर का शुल्क लगाने के फैसले के बाद बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों द्वारा एच-1बी वीजा के लिए पंजीकरण में 92 प्रतिशत की कमी आई है। ट्रम्प ने कहा, 2025 की घोषणा की अवधि बढ़ाने से अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा जारी रहेगी, अमेरिकी कर्मियों और स्नातकों के लिए श्रम बाजार तक पहुंच बेहतर होगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि नियोक्ता कार्यक्रम के मूल उद्देश्य के अनुरूप जरूरत पड़ने पर केवल अत्यधिक कुशल और जरूरी विदेशी कर्मियों की ही भर्ती करें। यूएस के एच-1बी वीजा कार्यक्रम का लाभ पाने वालों में भारतीय सबसे बड़ा समूह हैं। 2025 में एक लाख अमेरिकी डॉलर का शुल्क लगाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है और यह मामला दो अलग-अलग संघीय अदालतों में विचाराधीन है। शुल्क बढ़ाने संबंधी 2025 के इस आदेश की अवधि इस महीने समाप्त होने वाली थी। यह आदेश उन विदेशी नागरिकों को दिए गए वीजा पर लागू नहीं है जो पहले से छात्र वीजा पर अमेरिका में रह रहे हैं।

वीजा प्रक्रिया अनुरोधों में लगभग 97 फीसदी की कमी आई

हवाइट हाउस का कहना है कि 2025 के इस उपाय से कुछ सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनियों के किये जाने वाले एच-1बी पंजीकरणों में भारी कमी आयी थी। व्हाइट हाउस ने कहा कि 2025 की उद्घोषणा लागू होने के बाद से, सबसे बड़ी आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों के दर्ज किये जाने वाले एच-1बी पंजीकरण में 92 फीसदी की गिरावट आयी है। प्रशासन ने यह भी बताया कि इस कदम के परिणामस्वरूप वीजा प्रक्रिया अनुरोधों में लगभग 97 फीसदी की कमी आयी है और कम वेतन वाले विदेशी श्रमिकों के बजाय उच्च-कुशल और उच्च-वेतन वाले कर्मचारियों की ओर बदलाव हुआ है। व्हाइट हाउस ने कुछ नियोक्ताओं पर यूएस कर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर कम वेतन वाले एच-1बी कर्मियों को रखने और वेतन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। अमेरिकी बयान में कहा गया कि एच-1बी वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग कुशल यूएस कर्मियों के वेतन को घटाता है, क्योंकि सस्ते विदेशी श्रम की उपलब्धता घरेलू वेतन पर नीचे की ओर दबाव डालती है।

पंजीकरण में लगभग 40 फीसदी की गिरावट दर्ज

अमेरिका में विदेशी एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) कार्यकर्ताओं की संख्या 2000 और 2019 के बीच दोगुनी से अधिक हो गयी थी, जबकि इसी अवधि के दौरान कुल एसटीईएम रोजगार में 44.5 फीसदी की वृद्धि हुई थी। 2025 की उद्घोषणा से पहले के हालिया वर्षों में एच-1बी वीजा वाले आईटी कर्मियों की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2003 के 32 फीसदी से बढ़कर 65 फीसदी से अधिक हो गई थी। यह नवीनतम कदम गृह विभाग सुरक्षा के दिसंबर 2025 के उस नियम पर आधारित है, जिसने रैंडम एच-1बी लॉटरी को वेतन स्तर के आधार पर एक वेटेज-आधारित चयन प्रणाली से बदल दिया था। हवाइट हाउस ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2027 पहला वर्ष था, जिसमें एच-1बी चयन लॉटरी के बजाय वेतन के आधार पर तय किये गये, जिससे पंजीकरण में लगभग 40 फीसदी की गिरावट आयी। प्रशासन ने कहा कि वह एच-1बी धोखाधड़ी और उन अन्य कवायदों की जांच जारी रखेगा, जो यूएस कर्मियों की तुलना में वीजा धारकों का अवैध रूप से पक्ष लेती हैं। एच-1बी कार्यक्रम अमेरिकी नियोक्ताओं को प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और अन्य कुशल क्षेत्रों सहित विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ये नवीनतम उपाय ऐसे समय में आए हैं, जब ट्रम्प प्रशासन संघीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, नियोक्ताओं की छंटनी पर अधिक ध्यान देने और कुछ एच-1बी याचिकाओं पर निरंतर वित्तीय दंड के माध्यम से कार्यक्रम की जांच और कड़ाई बढ़ाना चाहता है।

ट्रम्प ने जो कहा वह किया, ग्रीनलैंड की सुरक्षा परमानेंट कंट्रोल का दावा

गैर-नाटो देशों को ग्रीनलैंड में सैनिक तैनाती से रोका जाएगा

● वाशिंगटन / राज न्यूज नेटवर्क

वाशिंगटन, आरएनएन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ग्रीनलैंड पर अपनी धाक जमा ली है। एक समय पर ग्रीनलैंड में अमेरिकी सैनिक उतारने की धमकी देने वाले डोनाल्ड ट्रम्प ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार से डील की है। इसके तहत ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर अब यूएसए का स्थायी नियंत्रण होगा। ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने भी इस डील का स्वागत किया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस डील कि घोषणा करते हुए बताया कि अब ग्रीनलैंड की सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका का स्थायी प्रतिनिधित्व होगा। न या रूस जैसा कोई भी देश यहां पर सैन्य ठिकाने या संवेदनशील निवेश नहीं कर पाएगा। ट्रम्प ने कहा कि अब से यूएस का कोई भी दुश्मन हमारी लिखित अनुमति के बिना ग्रीनलैंड पर अपना बेस नहीं बना पाएगा। वहां पर अपनी सेना नहीं रख पाएगा और न ही संवेदनशील इलाकों में निवेश कर पाएगा। ट्रम्प के मुताबिक अमेरिका इस द्वीपीय क्षेत्र में जल्दी ही अपनी सैन्य उपस्थिति को तेजी के साथ बढ़ाएगा। खास बात है कि ट्रम्प ने दावा किया कि इस सैन्य खर्च को यूएस की जनता के टैक्स से नहीं उठाया जाएगा। इसे स्पष्ट नहीं किया गया है कि आखिर ग्रीनलैंड में तैनात यूएस सैनिकों का खर्चा कौन उठाएगा। इस डील पर अभी कोई ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है।

इस समझौते के क्या है मायने?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से ही ग्रीनलैंड पर अपने अधिकार का दावा ठोकते हुए नजर आए हैं। हालांकि, ग्रीनलैंड ड्रेनमार्क के साथ पहले से ही नाटो का हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका की सेना को वहां पर अपना बेस बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन ट्रंप बेस से कुछ ज्यादा चाहते थे। ट्रंप का दावा था कि रूस और चीन ग्रीनलैंड पर अधिकार चाहते हैं। चूंकि इसकी लोकेशन अमेरिका के लिए एक नया खतरा पैदा करती है। इसलिए ट्रंप इस क्षेत्र पर केवल नाटो सदस्य के तौर पर नहीं बल्कि एक नए अधिकार के साथ अमेरिका को स्थापित करना चाहते थे। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक इस समझौते के तहत ट्रंप को कुछ अधिकार मिल गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका की नजर केवल ग्रीनलैंड में सैन्य मजबूती बढ़ाना ही नहीं, बल्कि यहां पर मौजूद खनिज भंडार पर भी है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ग्रीनलैंड की बर्फ कमजोर होना शुरू हुई है। ऐसे में यहां पर बड़ी मात्रा में खनिज भंडार मौजूद है।

हिन्दुजा हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कार्पोरेट कार्यालय: 167-169, द्वितीय तल, लिटिल माउंट मेट्रो स्टेशन, साईपेठ, चेन्नई- 600015
क्षेत्रीय कार्यालय - ऑफिस संख्या 153, पहली मंजिल, ऑर्बिट मॉल, विजय नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश - 452010
Email - auction@hindujahousingfinance.com

परिशिष्ट IV कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति हेतु)

जहां तक अधोहस्ताक्षरी के अधिकृत अधिकारी होने के नाते हिन्दुआ हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (HHFL) के प्राधिकत अधिकारी और वित्तीय परिसंपत्तियो के पुरनर्निर्माण और सुरक्षा इंट्रेस्ट एक्ट 2002 के प्रव्रतन के तहत और सेक्शन 13(12) के तहत (प्रदत्त) शक्तियों के प्रयोग में सुरक्षा इंटेस्ट (प्रव्रतन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पढ़ा जाता है | उधारक्रताओं को कंपनी के प्राधिकत अधिकारी द्वारा जारी किए गए नोटिस उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उललेखित राशि को चुकाने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का उल्लेख किया गया है उधारक्रता राषि को चुकाने में विफल रहा है, इस बात की जानकारी उधारक्रताओं, गारंटरो और आम जनता को दी गई है कि अधोहस्ताक्षरी ने संपत्ति के अधिकार में नीचे व्रणित संपत्ति का अधिग्रहण कर लिया है, जो उस पर प्रदान की गई शक्तियों के खंड (4) के अधीन है। उक्त अधिनियम के 13 सुरक्षा SEC प्रव्रतन नियम 2002 के सह नियम (8) के साथ पढ़े जाते हैं। आम तौर पर जनता को इस बात के सावधान किया जाता है कि उधारक्रता संपत्ति का सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी सौदे के लिए एचएफएल के बदलाव का विषय होगा | राशि के अनुसार ब्याज के साथ यहां उल्लेख किया है।

नाम और पता उधारकर्ता गारंटर / सहउधारकर्ता	डिमांड नोटिस तिथि देय राशि	सुरक्षित संपत्ति का विवरण	कब्जा तारीख एवं प्रकार
MP/BPL/BOPL/A000000588 MP/BPL/OBLJ/A000000110 श्री परमाल सिंह परिहार श्री वन्दना परिहार श्री शिवम सिंह परिहार	20-06-2026 Rs. 1158815/-	2152.78 वर्ग फुट प्लॉट एरिया वाला रिहायशी घर, जो नई ज़मीन खसरा नंबर 314 (पुराना खसरा नंबर 53/3/1) का हिस्सा है और ब्रह्मपुरी वार्ड नंबर 26, तहसील हुज़ूर, ज़िला भोपाल-462044 में स्थित है। सीमाएँ: उत्तर: नवीनलाल की ज़मीन, दक्षिण: विक्रेता की बची हुई ज़मीन, पूर्व: विक्रेता की ज़मीन, पश्चिम: एस. भार्गव की ज़मीन।	15/09/2026 Symbolic
MP/HBD/HOSH/A000000437 श्री जय भाटिया श्रीमती उर्मिला भाटिया श्री नितिन भाटिया, श्री राजू भाटिया	20-06-2026 Rs. 1034964/-	डोंगरी PH नंबर 17, वार्ड नंबर 18 (नया वार्ड नंबर 14), खसरा नंबर 26/4, कुल 525 वर्ग फ़ीट, नर्मदापुरम - मध्य प्रदेश, भारत – 461001। सीमाएँ: उत्तर: उमेद सिंह का प्लॉट, दक्षिण: दुर्गेश यादव का घर, पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: ड्रेनेज (नाली)।	15/09/2026 Symbolic
MP/HBD/HOSH/A000000619 श्री अभिषेक पाल श्री लखन लाल पाल श्रीमती उषा बाई पाल	20-06-2026 Rs. 902025/-	वार्ड नंबर 08, मकान नंबर 102, शाहगंज, तहसील बुधनी, कुल क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट, तहसील बुधनी, ज़िला सीहोर, मध्य प्रदेश, भारत - 466554। सीमाएँ: उत्तर: भागीरथ अहिरवार का घर, दक्षिण: धनीराम सिलवट का घर, पूर्व: सड़क, पश्चिम: पायलवाल का घर।	15/09/2026 Symbolic
MP/HBD/HOSH/A000000690 श्री रामकृष्ण सराठे श्री बेनीप्रसाद सराठे	20-06-2026 Rs. 620277/-	मौजा और ग्राम बनवारी परिवर्तित खसरा नंबर 167/1, पटवारी हल्का नंबर 35, 600 वर्ग फुट का प्लॉट, तहसील पिपप्रिया जिला नर्मदपुरम-461771 पर स्थित है। सीमाएं: उत्तर: उमा बाई प्रधान का प्लॉट, दक्षिण: विक्रेता की भूमि, पूर्व: सड़क, पश्चिम: राय साहब का खेत	15/09/2026 Symbolic
MP/HBD/ITRS/A000000148 श्री कपिल शर्मा श्रीमती क्षमा शर्मा घनश्याम शर्मा	20-06-2026 Rs. 1066004/-	खसरा नंबर 17/43, पटवारी हल्का नं. 50, वार्ड नंबर 07, महावीर कॉलोनी, बाबई, तहसील माखन नगर जिला नर्मदपुरम से जुड़ा हुआ, कुल क्षेत्रफल 1000 मध्य प्रदेश, भारत - 461661 सीमाएं: उत्तर: विक्रेता की भूमि, दक्षिण: ममता बाई का प्लॉट, पूर्व: सड़क, पश्चिम: अनवर की भूमि	15/09/2026 Symbolic
MP/GUN/AKNR/A000000391 श्री अक्षत शर्मा श्रीमती रमा देवी शर्मा	15-06-2026 Rs. 486450/-	घर का पता: वार्ड नंबर 34, सर्वे नंबर 761, PH नंबर 76, केशव कॉलोनी, माता मंदिर के पास, गुना, मध्य प्रदेश, 473001। कुल क्षेत्रफल 770 वर्ग फुट। सीमाएँ: उत्तर: रामस्वरूप शर्मा का घर, दक्षिण: 15 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व: अनीता शुक्ला का प्लॉट, पश्चिम: चंद्रकला बाई सेंगर का प्लॉट।	16/09/2026 Symbolic
MP/GUN/AKNR/A000000440 श्री ब्रजेश ओझा श्रीमती राधा ओझा	15-06-2026 Rs. 560272/-	सर्वे नंबर 149/Min-27/Min-2, वार्ड नंबर PH नंबर 07, मौजा ग्राम पचारी, ईशागढ़ रोड, जेल के पास, अर्ध-शहरी इलाका, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, 473331। कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट या 92.93 वर्ग मीटर। सीमाएँ: उत्तर: सोनी जी आगरा वाले का प्लॉट, दक्षिण: दूसरों का प्लॉट, पूर्व: 20 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम: जेल की बाउंड्री वॉल।	16/09/2026 Symbolic
MP/GUN/AKNR/A000000713 श्री अशोक पाल श्रीमती सविता पाल श्रीमती दासोद बाई पाल	15-06-2026 Rs. 727790/-	सर्वे/घर नंबर 100, वार्ड नंबर 07, शंकर कॉलोनी, PH नंबर 27, बस स्टैंड के पास, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, 473331, शिव मंदिर, अर्ध-शहरी इलाका, अशोकनगर, मध्य प्रदेश, 473331। कुल क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट या 55.75 वर्ग मीटर। सीमाएँ: उत्तर: सड़क, दक्षिण: कुंवर पाल (पिता रामलाल पाल) का घर, पूर्व: मुन्नालाल पाल का घर, पश्चिम: अशोक कुशवाहा का घर।	16/09/2026 Symbolic
MP/GUN/BORA/A000000165 सुश्री ममता बाई शर्मा श्री अमृत लाल शर्मा	15-06-2026 Rs. 1613934/-	सर्वे नंबर 148/3/27/2(S), वार्ड नंबर 03, मौजा मकसूदनगढ़, PH नंबर 30, सुभाष चंद्र बोस वार्ड, रेस्ट एरिया, मकसूदनगढ़, गुना, मध्य प्रदेश, 473287। कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग फुट, सीमाएँ: उत्तर: महावीर सिंह की ज़मीन, दक्षिण: 12 फुट चौड़ी सड़क, पूर्व: चंद्रपाल सिंह सिसोदिया का घर, पश्चिम: पर्वत सिंह सोंधिया का प्लॉट।	16/09/2026 Symbolic
MP/GUN/GUNA/A000000532 सुश्री रामकली ओझा श्री दीपक ओझा	15-06-2026 Rs. 1546886/-	सर्वे नंबर 1212, वार्ड नंबर 23 (नया 25), PH नंबर 75, रसीद मोहल्ला, न्यू साई सिटी कॉलोनी, मुहालपुर रोड, गुना, मध्य प्रदेश, 473001 कुल क्षेत्रफल 910 वर्ग फुट या 84.57 वर्ग मीटर। सीमाएँ: उत्तर: नाला, दक्षिण: मुहालपुर रोड, पूर्व: नन्नूलाल का घर, पश्चिम: भैयालाल का घर।	16/09/2026 Symbolic

उधारकर्ताओं / जमानतदारों को स्टेटमेंट नोटिस द्वारा सावधानी पूर्वक कहा जाता है कि संपत्ति को किसी भी समय सार्वजनिक नीलामी / निविदाओं के माध्यम से बेचा जा सकता है और इस तरह इसे सुरक्षा (बयाज) प्रवर्तन नियम 2002 नियम 6, 8 और 9 के तहत एक नोटिस के रूप में भी माना जा सकता है। प्राधिकारी अधिकारी मोबाईल नं.- Vaibhav Shrivastav - 7987969803, Rajesh Chakotiya - 84355 71111, Dharamveer Yadav - 82694 20174, Pushpendra Soni- 70006 24484, Pankaj Joshi- 96445 23578, Sameer Singh- 95842 90575

दिनांक - 20/09/2026

प्राधिकृत अधिकारी, हिन्दूजा हाऊसिंग, फायनेंस लिमिटेड

ईरान ने बातचीत के लिए शर्तें अमेरिका को सौंपी

● तेहरान,/ राज न्यूज नेटवर्क

ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव मोहसेन रजाई ने शनिवार को कतर और पाक मध्यस्थों के जरिए यूएस से वार्ता दोबारा शुरू करने और जंग के खात्मे के लिए अपनी शर्तें भेजने की पुष्टि की है।

रजाई ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका को जल्द ही इन शर्तों पर अपना रुख स्पष्ट करना होगा। इरानी सुरक्षा प्रमुख ने कहा कि अमेरिकी राष्टपति डोनाल्ड ट्रम्प का ईरान को लेकर आकलन और गणित पूरी तरह गलत साबित हुआ है तथा यह युद्ध इजराइली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के उकसावे पर शुरू हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि ट्रम्प की धमकियों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा और ईरान एक निर्णायक युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है।

रजाई ने दावा किया कि ईरानी सशस्त्र बल अमेरिकी सेना की कमजोरियों से भली-भांति परिचित हैं और अमेरिकी हवाई हमलों का सामना करने के लिए अभूतपूर्व रूप से सक्षम हैं।

महिला को घसीटने वाला होमगार्ड हुआ गिरफ्तार, बर्खास्त

हैदराबाद, आरएनएन। हफीजपेट रेलवे स्टेशन पर एक महिला से मारपीट करने और उसके बाल पकड़कर घसीटने के आरोप में 36 वर्षीय होमगार्ड को सेवा से हटा दिया गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है। साइबराबाद पुलिस आयुक्त एम. रमेश ने बताया कि आरोपित होमगार्ड को न्यायिक हिरासत के लिए अदालत में पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में होमगार्ड महिला को हाथ से मारता और फिर उसके बाल पकड़कर घसीटता दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, होमगार्ड की ड्यूटी हफीजपेट रेलवे स्टेशन पर थी।

डोभाल ने सुनाया पुराना किस्सा चीन ने पकड़ लिए थे हमारे एजेंट

बताया-कैसे गलत नक्शे ने बिगाड़ा था मिशन

● नई दिल्ली / राज न्यूज नेटवर्क

आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में एनएसए अजीत डोभाल ने अपने करियर का एक मुश्किल किस्सा सुनाया। सिक्किम में तैनाती के दौरान उनकी भेजी टीम चीन की हिरासत में फंस गई थी और उन्हें अपना करियर खत्म लगने लगा। जांच में वे बेकसूर निकले, क्योंकि नक्शों में गलतियां थीं। उसी दौर में एक शेरपा साथी ने उन्हें जिंदगी का बड़ा सबक दिया। डोभाल ने बताया कि वे 20 के दशक में युवा आईपीएस अधिकारी और खुफिया काम में नए थे। उन्हें सिक्किम में खुफिया प्रभारी बनाया गया था, जो तब भारत का हिस्सा नहीं था और भारत में मिल रहा था। डोभाल इस प्रक्रिया का हिस्सा थे। सीमा के इलाकों की देखभाल और चीनी सेना पीएलए की गतिविधियों की जानकारी जुटाना भी उनकी जिम्मेदारी थी।

विधायकी जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे नागेंद्र

हैदराबाद, आरएनएन। तेलंगाना की खैरताबाद विस सीट से विधायक दानम नागेंद्र ने उन्हें अयोग्य ठहराने के तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। नागेंद्र ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल कर हाई कोर्ट के फैसले और खैरताबाद विस सीट को खाली घोषित करने के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है।

हाईकोर्ट के आदेश पर रोक की मांग

सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग होने पर नागेंद्र की याचिका पर सोमवार 21 सितंबर को सुनवाई हो सकती है। नागेंद्र ने शीर्ष कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए समय देने की भी मांग की है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को दानम नागेंद्र को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। चीफ जस्टिस अपारेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की बेंच ने विधानसभा स्पीकर के उस फैसले को रद्द कर दिया था, जिसमें नागेंद्र के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिका खारिज कर दी गई थी।

सऊदी अरब की राजधानी रियाद में धमाका, कई फ्लाइट्स में देरी

● रियाद / राज न्यूज नेटवर्क

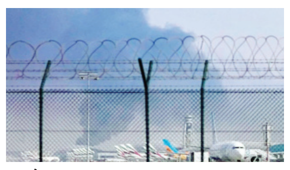

पश्चिम एशिया में हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष में उलझे सऊदी अरब के लिए परेशानी बढ़ गई है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी राजधानी रियाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कम से कम एक धमाके की आवाज सुनी गई है। हालांकि, अभी तक यह साफ नहीं है कि धमाके की वजह क्या है। लेकिन आसपास से निकल रहे यात्रियों ने आसमान में बड़ा धुआं का गुबार देखा है।

सऊदी अधिकारियों ने अभी तक किसी के हताहत होने या किसी तरह के नुकसान की जानकारी नहीं दी है। एजेंसी से बात करते हुए एक स्थानीय नागरिक ने आपबीती बताई। उसने कहा कि हमने एयरपोर्ट की तरफ काला धुआं और आग देखी है।

फ्लाइटरडार 24 के डाटा में भी कई फ्लाइट के आने और जाने के समय में देरी दिखाई गई है। वेबसाइट पर 3.5 और 5 के बीच डिले इंडेक्स का मतलब है कि लंबी देरी और कई फ्लाइट्स के रद्द होने जैसी बड़ी दिक्कतें हैं।

यमन: हूती लड़ाकों व सेना के बीच जंग में 48 की मौत

● सना / राज न्यूज नेटवर्क

सऊदी समर्थित यमनी सरकारी बलों और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच यमन के दक्षिण में हुई ताजा झड़पों में कम से कम 48 लोग मारे गए हैं, दोनों पक्षों के सैन्य सूत्रों ने एएफपी को यह जानकारी दी।सूत्रों के अनुसार, 17 सैनिक मारे गए हैं, और हूती ने भी 24 घंटों में अपने 31 सैनिकों के मारे जाने की सूचना दी है। बीबीसी अरबी सेवा ने शुक्रवार को बताया था कि इस संघर्ष में 24 घंटों में कम से कम 63 लोग मारे गए थे। कई साल की शांति के बाद यमन में दोनों पक्षों के बीच जुलाई से संघर्ष फिर से बढ़ गया है, और पिछले सप्ताह हूती हथियारबंद गुट के एक अचानक हमले से स्थिति और भी ख़राब हो गई। इन हमलों के बाद हूती, हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने वाले रणनीतिक तौर पर अहम बाब अल-मंदेब स्ट्रेट तक अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र का विस्तार करने में कामयाब रहे हैं।

मेरठ के आसमान में गरजे 9 हॉक विमान सूर्य किरण टीम के हैरतअंगेज करतब

● मेरठ / राज न्यूज नेटवर्क

1996 में बनी थी सूर्य किरण टीम

सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की एयरोबेटिक प्रदर्शन टीम है और 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। टीम में 13 पायलट होते हैं, जिनमें से 9 एक साथ प्रदर्शन के लिए उड़ान भरते हैं। मेरठ में आयोजित यह दो दिवसीय एयर शो रविवार को भी जारी रहेगा। एयर शो को लेकर आयोजन स्थल पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहे। प्रवेश से पहले दर्शकों की मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। इसके बाद मैनुअल चेकिंग कर लोगों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश दिया गया।

शहर में आसमान में शनिवार को देशभक्ति और रोमांच का अद्भुत नजारा देखने को मिला। न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में पहली बार आयोजित वायुसेना के एयर शो में सूर्य किरण एयरोबेटिक टीम के 9 हॉक एमके-132 विमानों ने करीब 30 मिनट तक हैरतअंगेज करतब दिखाए। विमानों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजता रहा और जमीन पर मौजूद हजारों दर्शक सतत ऊपर देखते रहे।

सुबह करीब 10:30 बजे हिंडन एयरबेस से उड़ान भरकर पहुंचे विमानों ने बेहद सटीक फॉर्मेशन में प्रदर्शन शुरू किया। कभी विमान एक-दूसरे से बेहद कम दूरी पर साथ उड़ते दिखाई दिए तो कभी अचानक अलग होकर आसमान में अलग-अलग आकृतियां बनाते नजर आए। करीब 200 फीट की ऊंचाई पर विमानों ने धुएं की लकीरों से तिरंगे की आकृति बनाई तो पूरा माहौल देशभक्ति से भर गया।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

GRIHUM HOUSING FINANCE
Apna Ghar. Apni Pehchan.

पंजीकृत कार्यालयः छठा तल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, जेड-26, जोन-1, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462011.
शाखा कार्यालय इकाईः प्रथम तल, वार्ड नं. 17, पी.एच. नं. 75, पंजाबी मोहल्ला, गुना, पोस्ट तहसील और जिला गुना, मध्य प्रदेश - 473001.

ई-नीलामी - बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल संपत्तियों का बिक्री

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर(यों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (जिसे अधिनियम के अनुसार आगे ''सुरक्षित लेनदार'' कहा जाएगा) को गिरवी रखी गई हैं, जिसका कब्जा अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 8 और 9 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसरण में सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है। सुरक्षित संपत्तियाँ **''जहाँ है जैसी है'', ''जैसी है वैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर 09-10-2026 और 23-10-2026** को ई-नीलामी के माध्यम से बेची जाएँगी। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हम https://www.bankeauctions.com वेबसाइट पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं।

बिक्री की विस्तृत नियम व शर्तों के लिए, कृपया GHFL/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक का संदर्भ देखें।

सं. क्रं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (बी)	कब्जे की प्रकृति {सी}	संपत्ति का विवरण {डी}	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि (जी)	वृद्धिशील बोली {एच}	संपत्ति निरीक्षण का दिनांक एवं समय {आई}	नीलामी की तिथि और समय {जे}	ज्ञात भार/न्यायालयीन मामले, यदि कोई हों (के)
1	लोन नंबर HF0205H20100033 संजय सिंह (कर्जदार) ममता बाई संजय सिंह (सह-कर्जदार)	नोटिस की तारीख: 10-05-2025 कुल बकाया: रू. 11,35,034/- (सिर्फ ग्यारह लाख पैंतीस हजार चौंतीस रुपये) 10-05-2025 तक देय, साथ में वसूली तक 15.35% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।	भौतिक	ओपन प्लॉट का सारा हिस्सा रेजिडेंशियल हाउस है, जिसका सर्वे नंबर 769/1/Ka/Min-11 है, कुल एरिया-0.005 हेक्टे. या 600 वर्ग फीट या 55.76 वर्ग मी. खाता नंबर-पी.एच. नं. 27, वार्ड नंबर 07, राम विहार कॉलोनी, कोलुआ रोड के अंदर, म्युनिसिपल एरिया अशोक नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। अशोक नगर एम.पी. श्री प्रदीप राठौर के बेटे श्री सुखराम राठौर की ऊपर दी गई प्रॉपर्टी को बेचने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर पेश किया गया है। आर.ओ. गांव-नारायणपुर तहसील और जिला अशोक नगर एम.पी. और **प्लॉट की सीमाएं** पूर्व-श्री पाल की खेती की जमीन। पश्चिम-श्री बलवंत सिंह वगैरह की जमीन। उत्तर-कॉमन वे, दक्षिण-श्री विजन सिंह यादव की जमीन।	रू. 8,20,000/- (रुपये आठ लाख बीस हजार मात्र)	रू. 82,000/- (रुपये बयासी हजार मात्र)	08-10-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	05-10-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	09-10-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक
2	लोन नंबर HL00197100000005014755 राजकुमार रघुवंशी (कर्जदार) रोहित रघुवंशी (सह-कर्जदार) मीना यादव	नोटिस की तारीख: 10-09-2025 कुल बकाया: रू. 5,87,167/- (सिर्फ पाँच लाख सत्यासी हजार एक सौ सड़सठ रुपये) 10-09-2025 तक देय, साथ में वसूली तक 13.85% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी देना होगा।	भौतिक	वह सारी प्रॉपर्टी यानी एक रेजिडेंशियल फ्लैट नंबर M-20 (1bhk) चौथी मंजिल जिसमें फ्लैट एरिया 400 वर्ग फीट है। एक रेजिडेंशियल कॉलोनी जिसे "वैष्णो एवेन्यू" के नाम से जाना जाता है, प्लॉट नंबर 55,56,57,58,59,60,61 और लैंड रेवेन्यू सर्वे नंबर 473/1/2/1 का हिस्सा, एरिया पर बनी है। कुल प्लॉट एरिया 1048.16 वर्ग मी. 6.00 एकड़ जमीन जो उदौगपुरी कॉलोनी, गांव मंडीदीप, पी.एच. नं.-03 नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर-17, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन में है, **सीमायें निम्नानुसारः** पूरब में - कॉमन कॉरिडोर, पश्चिम में - उत्तर में खुला - दक्षिण में खुला फ्लैट नंबर-M-19	रू. 6,12,500/- (रुपये छह लाख बारह हजार पांच सौ मात्र)	रू. 61,250/- (रुपये इकसठ हजार दो सौ पचास मात्र)	22-10-2026 शाम 5 बजे से पहले	10,000/-	16-10-2026 (सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक)	23-10-2026 (सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक)	निरंक

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित ऋणदाता शाखा और नीलामी संपत्तियों पर जाएँ, अपनी स्वयं की जाँच करें और अतिरिक्त शुल्क, भार और किसी भी तृतीय-पक्ष के हितों का पता लगाएँ और बोली जमा करने से पहले सभी पहलुओं से स्वयं संतुष्ट हो लें। संपत्ति कर, बिजली/पानी के बिल और संपत्ति से जुड़े अन्य सभी बकाया, यदि कोई हों, जैसे सभी वैधानिक बकाया, सफल बोलीदाता द्वारा पता लगाकर चुकाए जाने चाहिए।

इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और नीलामी सेवा प्रदाता (सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) पता- प्लॉट संख्या-68, तीसरी मंजिल, गुड़गांव, हरियाणा-122003। हेल्पलाइन नंबर-7291981124,25,26 सहायता ईमेल आईडी-Support@bankeauctions.com, **संपर्क व्यक्ति-विनोद चौहान, ईमेल आईडी-delhi@c1india.com संपर्क नंबर-9813887931** से लॉगिन आईडी और पासवर्ड, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है, पहले ही प्राप्त कर लेना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता तभी से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक खरीदार/बोलीदाता को बयाना राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी। एनईएफटी/आरटीजीएस **''गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड-नीलामी आय खाता,'' बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-091551000028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44, विमन नगर-411014** के खाते में किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक से **08-10-2026 और 22-10-2026** से पहले जमा करें और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और निःशुल्क यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी का प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां ई-मेल पर अपलोड करवानी होंगी और स्व-सत्यापित हार्ड कॉपी पते पर भेजनी होंगीः **पताः उपरोक्त दर्शाये पतों पर। मोबाइल नंबर +91 8281138143 ई-मेल आईडी** p.adith@grihumhousing.com **नियमों और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए** https://www.bankeauctions.com **और** www.grihumhousing.com **पर जाएँ।**

इस सूचना को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम-2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर को 15 (पंद्रह) दिन का नोटिस भी माना जाना चाहिए।

किसी भी मामले में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी समाचार पत्र प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर है, तो फ्री प्रेस जर्नल में प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र भाषा की सामग्री मान्य होगी।

स्थानः मध्य प्रदेश दिनांकः 20.09.2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड